बड़ौदा यू.पी. बैंक Baroda U.P.Bank

आजादी का अमृत महोत्सव

प्रधान कार्यालय : बुद्ध बिहार व्यावसायिक योजना, तारामंडल, गोरखपुर-273016

क्षेत्रीय कार्यालय : 2ए, गौतमनगर, आई.टी.आई. रोड, फतेहपुर-212601

सार्वजनिक बिक्री नीलामी सूचना/नीलामी तिथि 08.04.25 (अचल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी ब्रिकी सूचना

वित्तीय आस्तियों की प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (सरफेसी अधिनियम, 2002) साथ में पठित प्रतिभूति हित (नियमों, 2002 के नियम 6 (2) और / या नियम 8 (6) के अधीन नीलामी सूचना

जैसाकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13 (2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बड़ौदा यू० पी० बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित खातों में मांग सूचना जारी की जिसमें कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को कथित सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचना के अनुसार राशि का भुगतान करने को कहा गया और जैसाकि कर्जदार (रो)/ गारंटीदाता (ओं) बंधकदाता (ओं) ने राशि का भुगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13 (4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पत्ति / संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) (ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंको के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतद्वारा जनसाधारण और विशेष रुप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को सूचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभूत लेनदारों के पास बंधक / प्रभारित पड़ी है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू० पी० बैंक, प्रतिभूत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसूली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को "जैसा है जहां है, जैसा है जो है" और "जो है वही है "आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रुप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली / निविदाएं / कोटेशन्स आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छुक व्यक्तियों / बोलीदाताओं को 07.04.25 को को या उससे पहले, बड़ौदा यू० पी० बैंक, क्षेत्रीय कार्यालयः 2A गौतम नगर, आई टी आई रोड फ़तेहपुर -212601 में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को पूरा करके अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। निविदा 08.04.25 को खोली जायेगी।

बकायेदार का नाम व पता	सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि /अधिग्रहण तिथि /अधिग्रहण प्रकार	बकाया धनराशि (रु)	आरक्षित धनराशि अग्रिम धनराशि
खाता संख्या: 56690400000052				
ऋणग्राही- मेसर्स रुद्र फ्लोर मिल प्रोपेराइटर श्री राजू लोधी, पता : कासिमपुर बीबीहाट बिलन्दा, फतेहपुर -212645 जमानतकर्ता-1) गजराज पुत्र राजा ग्राम असवार पोस्ट-तारापुर, मलवाँ, फतेहपुर-212664 2) श्री रामजी पुत्र श्री राम किशुन, ग्राम-मौहारी पोस्ट-सरकण्डी, फतेहपुर -212658	जुजभाग अराजी 347, ग्राम- कासिमपुर बीबीहाट, परगना व तहसील- फतेहपुर-212601, क्षेत्रफल-715 वर्ग मीटर	06.03.2017/13.09.2024/ भौतिक कब्ज़ा	रु. 29,70,130/- दिनांक 12.20.2024 को + ब्याज व अन्य खर्चे	आरक्षित धनराशि रु. 24,75,000/- अग्रिम धनराशि रु. 2,47,500/-

बिक्री के नियम एवं शर्तेः

1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। (लिफाफे के ऊपर स्पष्टतः और पठनीय बोली क्रम सं. एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए।
2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में सुल्तानपुर में देय योग्य एवं प्राधिकृत अधिकारी, बड़ौदा यू.पी. के पक्ष में डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मूल्य का 10% जमा / संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मूल्य (आरक्षित मूल्य से कम की नहीं होनी चाहिए) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।
3. सफल बोलीदाता को डीडी / बैंकर्स चेक के रूप में उसी दिन बोली रकम (ईएमडी शमिल रहेगा) का 25% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, अगर वे ऐसा नहीं करते है उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी।
4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सूचना दिये बोली / सर्वोच्च बोली को स्वीकार / अस्वीकार / रद्द / निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री / नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों / देनदारियों / भार / करों / सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेह नहीं होंगे।
6. सम्पत्ति को आरक्षित मूल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प डयूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा।
7. यदि ऐसा पाया जाता है कि दो या अधिक बोलीदाताओं का एक समान बोली रकम है तो प्राधिकृत अधिकारी उनके मध्य पुनः नयी बोली आमंत्रित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।
8. बोली / बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को "जैसा है जहां है", "जैसा है जो कुछ है" और "वहां जो कुछ भी है' आधार पर बेचा जा रहा है।
9. अगर कोई कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता नीलामी से पहले बैंक को पूर्ण बकाये का भुगतान कर देता है तो नीलामी को रोक दिया जाएगा। हालांकि कर्जदार / गारंटीदाता / बंधककर्ता के पास नीलामी से पूर्व प्रतिभूत आस्तियों को निर्गत करने का अवसर होगा जो प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13 की उप धारा (8) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन संशोधन नियमों 2002 द्वारा) के अधीन बकाया पूर्ण राशि एवं प्रभारों के भुगतान के अधीन होगा।
10. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि ये सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपरान्ह 12:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख / निरीक्षण कर सकते हैं।
11. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों / गारंटीकर्ता (ओं) / बंधककर्ता (ओं) के लिए विशेष रूप से तथा जनता / सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है।
12. बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत लेनदारों की वेबसाइट में प्रदान किए गये लिंक यानी https://www.barodaupbank.com/sarfaesinotice.php

सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन 15 दिनों की बिक्री सूचना

कर्जदारों / गारंटीदाताओं / कानूनी वारिसों / बंधककर्ता (ओं) को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि नीलामी से पूर्व बैंक को उपरोक्त वर्णित सभी बकाये का भुगतान करें, अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो बंधक सम्पत्ति को वर्णित तिथि को बेच दिया जाएगा और अगर कोई अन्य बकाया शेष होगा तो ऐसे उचित ब्याज प्रभारों एवं व्यय के साथ उनसे वसूल किया जाएगा।